# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.) खेरवाडा जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : विनोद कुमार, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या : 21/2018

तारीख दायर : 25.10.2018
तारीख निर्णय : 11.01.2019

उनवान

राहुल पिता चुन्नीलाल मीणा
निवासी – बडला
तहसील खेरवाडा।

बनाम

भूमिधारी अधिकारी तहसीलदार
खेरवाडा

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

**उपस्थित : प्रार्थी की ओर से – श्री नरेन्द्र पाल असारी।**
**अप्रार्थी की ओर से – ।**

**–:: आदेश ::–**

प्रार्थी श्री राहुल पिता चुन्नीलाल मीणा निवासी बडला तहसील खेरवाडा द्वारा प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि मौजा बडला में स्वयं के खातेदारी दर्ज रिकार्ड खसरा नम्बर 548 रकबा 0.0600 हेक्टर है जिस पर आने जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नही है। केवल बिलानाम आराजी नम्बर 553 रकबा 0.0500 हेक्टर किस्म गैर काबिल काश्त में से ही होकर आया जाया जा सकता है। अतः इस आराजी से रास्ता नियमानुसार उपलब्ध कराया जावे। इस सम्बन्ध में जो भी राजकीय राशि बनती है, वह जमा कराने को तैयार है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार खेरवाडा से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार खेरवाडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया गया कि प्रार्थी स्वयं आराजी नम्बर 548 पर जाने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 से बिलानाम आराजी नम्बर 553 में लाल रगं से दर्शाये गये, रास्ते से मौके पर आ जा रहा है। उक्त आराजियात पर पहुँचने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग खातेदार के पास उपलब्ध नही है। नवीन प्रस्तावित मार्ग 30 फीट चौडा होकर निकटतम एवं लघुतम है जिसका कुल क्षैत्रफल 0.0200 हेक्टर है। इस रास्ते को सार्वजनिक घोषित किये जाने पर आवेदक खातेदार लाभान्वित हो रहा है साथ ही किसी अन्य को कोई आपत्ति नही है। आवेदक खातेदार नियमानुसार जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि की दरों का दौगुना प्रतिकर जमा कराने के लिये तैयार है। अतः उक्त रास्ते को नवीन सार्वजनिक रास्ता घोषित किया जाना प्रस्तावित है।

तहसीलदार खेरवाडा की उक्त रिपोर्ट के साथ आंशिक नक्शा ट्रेस की प्रति,प्रस्तावित रास्ता, नकल जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 ग्राम बडला की बिलानाम गैर काबिल काश्त भूमि आराजी नम्बर 553 रकबा 0.0500 हेक्टर किस्म बिलानाम गैर काबिल काश्त, आवेदक की आराजी 548 रकबा 0.0600 हेक्टर की जमाबन्दी नकल सम्वत 2069 से 2072, पटवारी रिपोर्ट पेश की गई है।

राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग क्रमांक प. 13(52)रा–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 के अनुसार यदि आवेदक को मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को उसकी जोत तक पहुँचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है तो उक्त



उपखण्ड अधिकारी
खेरवाडा जि उदयपुर

स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप नियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि दरों का दौगुना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जावे। यह नया मार्ग लघुतम या निकटतम रूट से होगा तथा 30 फीट से अधिक चौडा नही होगा। रास्ते के लिए प्रदत्त की गई भूमि राजस्व अभिलखों में सरकारी रास्ते के रूप में अभिलिखित की जायेगी एवं उक्त भूमि का प्रयोग सार्वजनिक होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन वादी वकील की बहस तथा तहसीलदार खेरवाडा के जवाब दावे के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा बडला पटवार मण्डल बडला के आराजी नम्बर 548 रकबा 0.0600 हेक्टर भूमि पर जाने हेतु मौजा बडला पटवार मण्डल बडला के आराजी नम्बर 553 रकबा 0.0500 हेक्टर में से रकबा 0.0200 हेक्टर भूमि जो कि संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल रंग से दर्शायी गई है, वर्तमान डी.एल.सी. की दो गुना राशि राजकोष में जमा करने के पश्चात राजस्व रिकार्ड में सार्वजनिक रास्ता कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। एतद्नुसार पालना हेतु तहसीलदार खेरवाडा निर्णय की प्रति भेजी जाकर लिखा जावे।

पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम की जाकर दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
खेरवाडा

प्रतिलिपी :

1. तहसीलदार खेरवाडा भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा वर्तमान डी.एल.सी. की दो गुना राशि राजकोष में जमा करवाने के बाद राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार अमलदरामद करावें।

उपखण्ड अधिकारी
खेरवाडा